केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार

बाल कल्याण समिति (CWC) द्वारा बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करना (LFA)

समर्पित बच्चा (Surrendered Child) (धारा 31, 35 एवं 38; नियम 19 तथा विनियम 7 एवं 39)

समर्पित बच्चा वह बच्चा है जिसे उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर समर्पित किया जाता है, जब वे शारीरिक, भावनात्मक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हों।

ऐसे बच्चे को समिति द्वारा समर्पित बच्चा घोषित किया जाता है। (धारा 2(60))

प्रक्रिया

1 माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

2 माता-पिता / अभिभावक की काउंसलिंग की जाती है (अभिभावक की परिभाषा धारा 2(31) के अनुसार)
ताकि उन्हें बच्चे को अपने पास रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

3 समर्पण विलेख (Deed of Surrender) जैविक माता-पिता या अभिभावक द्वारा बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के दिन ही निष्पादित किया जाता है। समर्पण विलेख की एक प्रति समर्पण करने वाले माता-पिता/व्यक्ति को दी जाती है। (अनुसूची V)

4 समर्पण विलेख के निष्पादन की तिथि से माता-पिता / अभिभावक को 2 महीने की पुनर्विचार अवधि दी जाती है।

5 पुनर्विचार अवधि समाप्त होने के बाद बाल कल्याण समिति बच्चे को गोद लेने के लिए कानूनी रूप से मुक्त घोषित करती है। इस आदेश में: - बच्चे का नवीनतम फोटो, तथा CWC के कम से कम 3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। (अनुसूची I)

विशेष परिस्थितियाँ

a) यदि जैविक माता अविवाहित है, तो समर्पण विलेख CWC की किसी एक महिला सदस्य की उपस्थिति में निष्पादित किया जा सकता है। यदि माता अपनी पहचान प्रकट नहीं करना चाहती है, तो मामले को परित्यक्त (Abandoned) बच्चे के रूप में माना जाएगा। दो गवाह आवश्यक होते हैं और उनमें से एक गवाह समर्पण करने वाले व्यक्ति का परिचित होना चाहिए।

b) यदि माता-पिता विवाहित हैं, तो समर्पण विलेख पर दोनों माता-पिता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। दो गवाहों में से एक गवाह दंपति का परिचित होना चाहिए।

c) यदि केवल एक जैविक माता-पिता समर्पण करता है और दूसरे माता-पिता का पता नहीं है, तो मामले को परित्यक्त बच्चे के रूप में माना जाएगा।

d) यदि बच्चा विवाह के बाहर जन्मा है, तो समर्पण केवल माँ द्वारा किया जाएगा। यदि माँ नाबालिग (18 वर्ष से कम) है, तो कोई वयस्क माता-पिता या अभिभावक गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो बाल देखभाल संस्थान (CCI) का प्रभारी गवाह के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

e) यदि समर्पण माता-पिता या अभिभावक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो मामले को परित्यक्त बच्चे के रूप में माना जाएगा।

f) यदि एकल माता-पिता अपने जीवनसाथी की मृत्यु के बाद बच्चे को समर्पित करते हैं, तो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

महत्वपूर्ण सूचना- समर्पित बच्चों के मामलों में कोई सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है। कानूनी संदर्भ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 में संशोधित) , किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 (2022 में संशोधित), दत्तक ग्रहण विनियम, 2022

संक्षिप्त रूप: CWC – बाल कल्याण समिति; CCI – बाल देखभाल संस्थान

संपर्क

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

West Block-8, Wing-2, द्वितीय तल

आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066

हेल्पलाइन: 1800-11-1311

(सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार)

टोल फ्री नंबर: 011-26760471, 26760472, 26760473, 26760474

ईमेल: carahdesk.wcd@nic.in

वेबसाइट: www.cara.wcd.gov.in